## उत्पाद-शुल्क

धारा 9क का संशोधन ।

**69.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1944 का 1

"(2) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रशमन रकम का, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को संदाय करने पर मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ।"।

धारा 11 का संशोधन।

**70.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11 में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्ववर्ती कहा गया है) जिससे शुल्क या किसी प्रकार की कोई अन्य राशि जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है, वसूलनीय या शोध्य है अपने कारबार या व्यवसाय को पूर्णतः या भागतः अंतरित करता है या अन्यथा उसका व्ययन करता है या उसके स्वामित्व में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जिसके परिणामस्वरूप उस कारबार या व्यवसाय में उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य व्यक्ति हो जाता है वहां इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी उत्पाद-शुल्क्य माल, सामग्री, निर्मितियां, संयंत्र, मशीनरी, जलयान, बर्तन, औजार और वस्तुएं भी कुर्क की जा सकेंगी और ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त किया गया हो, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे अंतरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन के समय ऐसे पूर्ववर्ती से वसूलीय या शोध्य ऐसे शुल्क या अन्य राशियों की वसूली करने के प्रयोजनों के लिए, विक्रीत की जा सकेंगी ।"।

नई धारा 33क का अंतःस्थापन ।

**71.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया ।

"33क. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, इस अध्याय या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के किसी पक्षकार को, यदि पक्षकार ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का अवसर देगा ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो, समय-समय पर, पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

परंतु कोई ऐसा स्थगन कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक मंजूर नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 35 का संशोधन।

**72.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) आयुक्त (अपील), यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो समय-समय पर पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

परंतु कोई ऐसा स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 35ख का संशोधन।

**73.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (6) के स्थान पर उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) अपील अधिकरण को कोई अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन विहित रीति से किया जाएगा और शुल्क और ब्याज की मांग की या शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख पर विचार किए बिना, उसके साथ,—

(क) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए या उससे कम है, वहां एक हजार रुपए की ;

(ख) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की;

(ग) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की,

फीस होगी :

परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(7) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) रोके जाने की मंजूरी या भूल की परिशुद्धि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपील में ; या

(ख) किसी अपील या किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।"।

धारा 35ग का संशोधन।

**74.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1अ) अपील अधिकरण, यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो समय-समय पर पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

परंतु कोई ऐसा स्थगन किसी पक्षकार को अपील की सुनवाई के दौरान तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 37 का संशोधन।

**75.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (iग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iघ) धारा 9क (2) के अधीन प्रशमन रकम के लिए उपबंध करना ।" ;

(ख) खंड (xviक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xviकक) उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त कराधेय सेवाओं पर संदत्त या संदत्त समझे गए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा-कर के प्रत्यय के लिए उपबंध करना ।"।

1994 का 32

तीसरी अनुसूची का संशोधन ।

**76.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में क्रम सं. 91 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में, ", मोनोक्रोम से भिन्न," शब्दों का लोप किया जाएगा ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण ।

**77.** (1) भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 17 सितंबर, 2002, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 655 (अ), तारीख 17 सितंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहला संशोधन कहा गया है), और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय और कंपनी कार्य विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 13 जनवरी, 2003, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13 जनवरी, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् दूसरा संशोधन कहा गया है), द्वारा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 38/2001-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 467 (अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है), को सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से 11 मई, 1982 से ही प्रवृत्त समझा जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रवृत्त रहा समझा जाएगा, तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित, सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की गई कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा इस प्रकार किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही केंद्रीय सरकार या मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित सीमाशुल्क अधिकारी के विरुद्ध, 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भाविक रूप से की गई किसी कार्रवाई या किसी बात के लिए, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष संस्थित नही की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ग) मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित सीमा-शुल्क अधिकारी के, 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान आदेश या निदेश द्वारा या उसके अधीन शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की किसी रकम की, की गई वसूली विधिमान्य समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव इस प्रकार विधिमान्य रूप में और प्रभावी रूप में की गई समझी जाएगी, मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को, मूल अधिसूचना पहले संशोधन और दूसरे संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त करने की शक्तियां होंगी और यह समझा जाएगा कि उसको सदैव ऐसी शक्तियां थीं मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन मूल अधिसूचना, पहले संशोधन और दूसरे संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में लाने की सभी शक्तियां सभी तात्विक समयों पर थीं ।

1944 का 1

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वित्त अधिनियम, 1995 के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के पदनाम, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 50 और धारा 70 के नीचे सारणियों में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः तत्स्थानी प्रतिस्थापित पदनाम समझे जाएंगे ।

1995 का 22

**स्पष्टीकरण 1**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई कोई कार्रवाई या लोप किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि पहले संशोधन और दूसरे संशेधन द्वारा यथासंशोधित मूल अधिसूचना भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" का वही अर्थ है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के खंड (ख) के परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में है ।

1944 का 1

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का संशोधन ।

**78.** (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (6) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त स्पष्टीकरण के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित उक्त स्पष्टीकरण सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको शक्ति है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

(3) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल), अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय सभी ऐसे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को अनुज्ञात किया जाएगा जो अननुज्ञात किया गया था किंतु वह तब अननुज्ञात न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता । 1957 का 58

(4) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के सभी ऐसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली की जाएगी जिसका उपभोग कर लिया गया है, किंतु जिसका उपभोग तब न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की ब्याज सहित वसूली से संबंधित केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के उपबंध इस उपधारा के अधीन की गई वसूली के लिए इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में परिभाषित सुसंगत तारीख, इस उपधारा के अधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है । 1957 का 58

**स्पष्टीकरण 1**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का वही अर्थ है जो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 में है ।

## केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन ।

**79.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 50 में उपशीर्ष सं. 5004.11, 5004.90, 5005.10, 5005.20 और 5005.90 में, स्तंभ (4) में का प्रविष्टि स्थान पर, के प्रत्येक के सामने क्रमशः "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अनुभाग 15 के टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'10. इस अनुभाग के उत्पादों के संबंध में किसी छड़, तार या किसी अन्य समान वस्तु को तार में कर्षण या पुनःकर्षण करने की प्रक्रिया, "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ।'।

(iii) अध्याय 90 में, उपशीर्ष सं. 9001.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) अध्याय 95 में, उपशीर्ष सं. 9504.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।